दीपक जैन

बनाम

चारू जैन

14 मार्च, 2007

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और अल्टमास कबीर, जे. जे.]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1956:

एस.24-अन्तरिम भरण पोषण -क्षेत्र, निचली अदालत का आदेश जिसमें रु. 12,000/- प्रति माह अंतरिम भरण पोषण के रूप में और Rs.11,000/- मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 24 के तहत एक आवेदन में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई थी, जिसमें Rs.11,000/- के मुकदमेबाजी खर्च के साथ Rs.12,000/- प्रति माह की दर से अंतरिम भरण-पोषण प्रदान किया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि-

आदेश में कोई कमजोरी नहीं है। इस न्यायालय द्वारा 17.2.2006 पर पारित अंतरिम आदेश जिसमें अपीलार्थी को प्रतिवादी को Rs.8000/-

प्रति महीने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अपीलार्थी उत्तरदाता को पूरी शेष राशि का भुगतान करेगा। [1040-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 1404

(नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.1.2006 से सीएम (एम) संख्या 1720/2004 में।)

के साथ

अवमानना याचिका संख्या 2006 की सं. 221

अपीलार्थी के लिए प्रभाकरण और एस. राजप्पा।

प्रतिवादी के लिए एम. एन. कृष्णमणि और राजिंदर माथुर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. श्री प्रभाकरण को श्री एस. राजप्पा की सहायता से सुना गया, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील और श्री एम. एन. कृष्णामणी प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना गया।

3. उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 10.01.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2004 के सीएम (एम) No.1720 में पारित किया गया। उक्त आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में विविध अपील दायर की गई थी। जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने 2003 के H.M.A. Case संख्या 149 में, जिसके तहत उक्त अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत दायर आवेदन का निपटारा किया था और आवेदन दायर करने की तारीख से 12,000/- प्रति माह की दर से एक अंतरिम भरण-पोषण निर्धारित किया था, जिसमें Rs.11,000/- के मुकदमेबाजी खर्च शामिल थे। उक्त आदेश के खिलाफ सीएम (एम) No.1720/2004 दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। उच्च न्यायालय अभिवचनों में किए गए सभी कथनों पर विचार करने और अन्य सभी अनुलग्नकों आदि को भी ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि Rs.12,000/- का भुगतान अंतरिम रखरखाव के माध्यम से किया जाना चाहिए।

4. हमने विवादित आदेश और अनुलग्नक का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों को सुना है।हमारी राय में, चुनौती के तहत आदेश कोई दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। इसलिए, हमें अपीलार्थी-पति द्वारा दायर अपील को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

5. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने 17.02.2006 पर एक अंतरिम उपाय के रूप में, इसमें अपीलार्थी को आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्रतिवादी को 8,000/- रुपये प्रति माह की राशि का भुगतान करने और इस अपील के निपटारे तक भुगतान करना जारी रखने का निर्देश दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपील खारिज की जा रही है, उक्त अंतरिम आदेश को खाली कर दिया गया है और अपीलार्थी अब एडीजे, दिल्ली के आदेश के अनुसार पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. यह कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। हम अपीलार्थी को आज से दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को पूरी शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

7. अब पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, अवमानना याचिका भी निरस्त की जाती है।

8. हम निचली अदालत को आज से तीन महीने के भीतर 2003 के H.M.A.Case No.149 का निपटारा करने का निर्देश देते हैं।

कोई लागत नहीं।

आर. पी.

सिविल अपील और अवमानना याचिका खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।